पंजाब में मारे गए व्यक्ति

2455. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आतंकवादियों द्वारा आज तक मारे गए व्यक्तियों की वर्ष बार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पंजाब के आतंकवादियों द्वारा बहुधा इस्तेमाल किए जा रहे हथियार; ए०के०–47 राइफ़ल, का मुकाबला करने के लिए सरकार ने इसी प्रकार के किसी हथियार का आयात करने या उसका देश में ही निर्माण करने का निर्णय लिया है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार पुलिस कार्मिकों और अर्द्ध-सैन्य बलों को इस प्रकार के हथियारों से कब तक लैस कर देने का विचार रखती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोधकान्त सहाय) : (क) इस संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है:—

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1981 . .	13
1982 . .	18
1983 . .	75
1984 . .	359
1985 . .	63
1986 . .	520
1987 . .	910
1988 . .	1949
1989 . .	1168
1990 (जुलाई तक) .	1210
कुल :	6280

(ख) और (ग) सुरक्षा बलों के लिए हथियारों की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उनके स्तर में सुधार लाया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। स्थिति से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए पंजाब में सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराए गए हथियारों में पहले ही सुधार किया जाता है।

भारत-बर्मा सीमा पर व्यक्तियों का आवागमन

2456. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-बर्मा सीमा पर 40 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत और बर्मा के नागरिकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था किस दस्तावेज के अन्तर्गत की गई है तथा उक्त दस्तावेज के संबंधित उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-बर्मा सीमा पर ऐसा आवागमन बेरोकटोक जारी है; और

(घ) इस आवागमन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) (क) से (घ) विदेश मंत्रालय द्वारा 1968 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, पर्वतीय जनजाति का प्रत्येक सदस्य, जो कि या तो भारत अथवा संघीय बर्मा का नागरिक हो, तथा वह भारत-बर्मा सीमा की किसी भी तरफ़ 40 कि.मी. क्षेत्र में रहने वाला आम नागरिक हो, तो वह भारत से